रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 1985/वैशाख 10, 1907
No. 192] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 1985/VAISAKHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

सं. 111/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 387 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि एक प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना भी है) की बाबत साधारणतः प्रचलित थी, उक्त

अधिनियम की पहली अनुसूची की तत्समय विद्यमान मद संख्यांक 26 के अंतर्गत सम्मिलित इस्पात की सिल्लियों और तत्समय विद्यमान मद संख्यांक 26कक के अंतर्गत सम्मिलित लोहे और इस्पात के उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क 20 जनवरी, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 8 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ; किन्तु जो, भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग की अधिसूचना सं० 148/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सं० 149/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सं० 153/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 में आने वाले कतिपय शब्दों के लोप के कारण अन्यथा उद्ग्रहणीय हो गया था;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त प्रथा के न होने पर, ऐसी इस्पात की सिल्लियों और लोहे और इस्पात के उत्पादों पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 37 की उपधारा (1) तथा वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन संदेय विशेष उत्पाद-शुल्क का संदाय इस्पात की ऐसी सिल्लियों और लोहे और इस्पात के उत्पादों की बाबत अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क, उक्त प्रथा के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया गया था ।

[फा. सं. 139/30/83-के.उ.शु.-4]

एच. वी. चौहान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th April, 1985

NOTIFICATION

No. 111/85-Central Excises

G.S.R. 387(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof), under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on steel ingots, falling under the then existing Item No. 26, and iron and steel products, falling under the then existing Item No. 26AA of the First Schedule to the said Act, was not being levied under section 3 of the said Act, but which had otherwise become leviable due to omission of certain words

appearing in the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 148/77-Central Excises, No. 148/77-Central Excises and No. 153/77-Central Excises, all dated the 18th June, 1977, during the period commencing on the 20th January, 1979 and ending with the 8th April, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under section 3 of the said Act and the special duties of excise payable under sub-section (1) of section 37 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978) and sub-section (1) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), on such steel ingots and iron and steel products, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such steel ingots and iron and steel products on which the said duty of excise and the special duties of excise were not levied, during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 139/30/83-CX.4]

H. V. CHAUHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985